न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 43 / 2025

नरपतसिंह पुत्र करणीसिंह जाति राजपूत आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदसार जिला चूरू (राजस्थान)

.........वादी.........

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला–चूरू
2. अहमदसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
3. किशोरसिंह पुत्र गंगासिंह जातिं राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
4. जगदिशसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
5. मदनसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
6. मनोहरसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
7. श्रीमती रूखमा पत्नी गंगासिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
8. श्रीमती उच्छव कंवर पत्नी सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
9. छगनसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
10. नन्दकिशोरसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
11. रतनसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
12. गुलाबसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
13. रामसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
14. श्रीमती चान्द कंवर पत्नी मालसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
15. श्रीमती संतोष कंवर पुत्री मालसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
16. श्रीमती मुकेश कंवर पुत्री मालसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
17. नारायणसिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
18. श्रीमती पुष्पा कंवर पुत्री करणीसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
19. श्रीमती बेबा कंवर पुत्री करणीसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
20. श्रीमती भंवरी कंवर पत्नी करणीसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू
21. श्रीमती सुमन कंवर पुत्री करणीसिंह जाति राजपूत निवासी बम्बू तहसील बीदासर, चूरू

...........प्रतिवादीगण...........

दावा घोषणात्मक

उपस्थितः– (1) विद्वान अधिवक्ता श्री गोवर्धनसिंह राठौड़, महावीरसिंह राठौड़ वादी की ओर से व
(2) विद्वान अधिवक्ता श्री अमरसिंह राठौड़, प्रतिवादी सं. 9 व 20 की ओर से
(3) प्रतिवादी सं. 2 ता 8 व 10 ता 19 व 21 के विरूद्ध एक पक्षीय
(3) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक :...28-5-25...

–: निर्णय :–

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम से खेत खसरा संख्या 695 भूमि तादादी 2.5040 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 705 भूमि तादादी 7.3855 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 706 भूमि तादादी 2.9719 हैक्टेयर कुल तादादी 12.8614 हैक्टेयर वाके रोही बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान मे वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 ता 21 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे संयुक्त

लगातार........2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

खातेदारी एंव के कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग मे चली आ रही है। जिसमे वादी का मुताबिक रिकॉर्ड 1/10 हिस्सा भूमि है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में उपरोक्त खसरे जात की भूमि की खातेदारी वादी नरसिंह पुत्र करणीसिंह जाति राजपूत के नाम से राजस्व रेकॉर्ड मे खातेदारी चली आ रही है जो अशुद्ध है वादी नरपतसिंह के पिता करणीसिंह का स्वर्गवास हुआ उस वक्त राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश वादी का नाम नरसिंह पुत्र करणीसिंह दर्ज कर दिया जबकि वादी का शुद्ध नाम नरपतसिंह पुत्र करणीसिंह है। वादी के नाम से आधार कार्ड है उक्त आधार कार्ड मे वादी का नाम नरपतसिंह पुत्र करणीसिंह दर्ज है तथा वादी के पास अन्य सरकारी दस्तावेजात जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र व बैंक पास बुक आदि मे वादी का नाम नरपतसिंह पुत्र करणीसिंह दर्ज है, जो सही व शुद्ध नाम है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादी का नाम नरसिंह पुत्र करणीसिंह अशुद्ध होने के कारण वादी वर्तमान गलत राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर वादी अपना सही व शुद्ध नाम नरपतसिंह पुत्र करणीसिंह की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादी का नाम नरसिंह पुत्र करणीसिंह अशुद्ध रहते हुये वादी सरकारी लाभ, ऋण, के.सी.सी. इत्यादि प्राप्त नही कर सकता है, इसलिये वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि वो राजस्व रेकॉर्ड मे अपना नाम नरसिंह पुत्र करणीसिंह की जगह शुद्ध व सही नाम नरपतसिंह पुत्र करणीसिंह की घोषणा करावे अन्यथा गलत राजस्व रेकॉर्ड के रहते हुये वादी को अपूर्तिय क्षति होगी और वादी को सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ेगा। वादी ने दिनांक 10/03/2025 को प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि आप वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे मेरा जो गलत व अशुद्ध नाम नरसिंह पुत्र करणीसिंह दर्ज है को सही व दुरूस्त कर सही नाम नरपतसिंह पुत्र करणीसिंह दर्ज करवा देवें तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। जिस पर वादी ने दावा पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन पंजीकृत डाक से तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 व 10 ता 19 व 21 न्यायालय में उपस्थित नही होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 9 व 20 ने

लगातार.........3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय में राजीनामा पेश किया जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। राजपैरोकार ने अपना जबाब राज्य हित निहित नहीं होना पेश (अंकित) किया।

बहस अंतिम सुनी गयी वादी के अधिवक्ता ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी का शुद्ध व सही नाम दस्तावेजात के आधार पर नरपतसिंह पुत्र करणीसिंह है जो उक्त दस्तावेजात से साबित है, वादी का दावा डिक्री किया जावे। हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक सुक्षमता से अवलोकन किया तो उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह साबित है कि वादी का वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में नरसिंह पुत्र करणीसिंह अशुद्ध नाम है, वादी का शुद्ध व सही नाम नरपतसिंह पुत्र करणीसिंह है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादी का सही नाम नरपतसिंह पुत्र करणीसिंह नाम की घोषणा वादी राजस्व रेकॉड में करवाने का अधिकारी है। वादी का घोषणात्मक दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी का घोषणात्मक दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वर्तमान खाता संख्या 218 में अंकित खेत खसरा संख्या 695 तादादी 2.5040 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 705 तादादी 7.3855 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 706 तादादी 2.9719 हैक्टेयर वाके रोही बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का नरसिंह पुत्र करणीसिंह अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त कर सही व शुद्ध नाम नरपतसिंह पुत्र करणीसिंह दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 28-5-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमीलाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला–चूरू

अन्तिम डिक्री व इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूप 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास अमीलाल यादव आर.ए.एस.

डालसिंह बनाम राजस्थान सरकार आदि

दावा घोषणात्मक

राजस्व वाद संख्या :— 43 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी श्री गोर्वधनसिंह राठौड़, महावीरसिंह राठौड़ वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई व राजपैरोकार उपस्थित व प्रतिवादीगण संख्या 9 व 20 की ओर से अमरसिंह राठौड़ वकील उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8, 10 ता 19 व 21 के विरूद्ध एक तरफा मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वर्तमान खाता संख्या 218 में अंकित खेत खसरा संख्या 695 तादादी 2.5040 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 705 तादादी 7.3855 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 706 तादादी 2.9719 हैक्टेयर वाके रोही बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का नरसिंह पुत्र करणीसिंह अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त कर सही व शुद्ध नाम नरपतसिंह पुत्र करणीसिंह दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अन्तिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज......—......मुबलिग......—......बाबत......—......खर्चा

इस मुकदमें के मय सुद व शरह ......—......फीसदी

सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ......—......को

अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...28/5/2025...

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी बीदासर

ओहदा......

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाई	रूपये	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोटः खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर